रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012020-215644
CG-DL-E-22012020-215644

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 2020/पौष 30, 1941
No. 38] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 2020/PAUSHA 30, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2020

सा.का.नि.40(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में प्रबंधक ग्रेड-II (समूह 'ख') की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रबंधक ग्रेड-II (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा-	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रबंधक ग्रेड- II	20)*0120(*कार्यभार पर आधारित परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न / पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	प्रोन्नत होने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	मिश्रित तरीके द्वारा (तिप्रतिनियुक्ति और प्रोन्न)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
मिश्रित पद्धति (प्रतिनियुक्ति और प्रोन्नति): केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर—5 (29,200-92,300 रु.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष की सेवा की हो; या

(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर—4 (25,500-81,100 रु.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 10 वर्ष की सेवा की हो; और

(क) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो:

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की वाणिज्य में डिग्री

(ii) सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्तशासी या कानूनी संगठन में लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1- वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.) में के ऐसे विभागीय सहायक प्रबंधक सह स्टोर कीपर, जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षिक अहर्ता और अनुभव रखते हों, पर भी विचार किया जाएगा और यदि उनका उस पद पर चयन कर लिया जाता है तो उक्त पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पणी 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
(12)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, पुष्टि पर विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे : **1.** निदेशक या उप सचिव, पेट्रालियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष ; **2.** अवर सचिव (पनास्था), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय – सदस्य **3.** केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी – सदस्य

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 42011/01/2017-स्था.]

बी.एन.रेड्डी, विशेष कार्य अधिकारी

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14 January, 2020

G.S.R. 40(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes initial constitution of the following rules regulating the method of recruitment to the post of Manager Grade-II (Group 'B') in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, namely :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Manager Grade-II (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix.—The number of the said post, their classification, level in the pay matrix attached to the said post shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc. .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of the post.	Classification.	Pay Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Manager Grade-II.	01* (2020). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -6 (Rs. 35400-1,12,400/-).	Not Applicable.	Not Applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	By composite method (deputation plus promotion).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Composite Method (Deputation plus Promotion) : Officers under the Central Government – (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level -5 (Rs.29,200-92,300/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level -4 (Rs.25,500-81,100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following Educational Qualifications and Experience: (i) Degree in commerce of a recognized University or Institute; (ii) Two years of experience in Accounts work in any Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory Organisation. **Note 1**.- The Departmental Assistant Manager-cum-Store Keeper in Level-4 (Rs.25,500-81,100/-) with ten years of regular service in the grade and possessing educational qualifications and experience required for Deputationists will also be considered along with outsiders. In case, he is selected, the post shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.-The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of : (1) Director or Deputy Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas – Chairman; (2) Under Secretary (Establishment), Ministry of Petroleum and Natural Gas – Member; (3) A group 'A' officer from any other Ministry or Department of the Central Government – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-42011/01/2017-Estt.]

B.N. REDDY, Officer on Special Duty

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.22 23:11:52 +05'30'